

कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

-: आदेश :-

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-2, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर के पत्रांक: रास्कूलशिप/जय/बा.शि/संस्था/इच्छित जिला आवंटन/2021-22/11501 दिनांक: 16.03.2023 व राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.19(12) शिक्षा-2/2020 जयपुर दिनांक: 18.06.2020 के अनुसरण में समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्रतिनियुक्त निम्नांकित अध्यापिकाओं को के.जी.बी.वी. में 04 वर्ष या अधिक की आवासीय सेवा सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने अंकित इच्छित जिला आवंटन किये जाने हेतु तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया गया है।

क. सं.	नामसुश्री/श्रीमती एवं पद	के.जी.बी.वी. का नाम	प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि	प्रतिनियुक्ति से पूर्व मूल पदस्थापन स्थान मय जिला	इच्छित जिला
1.	निशा चौधरी, तृश्रेअ. एल-2 गणित/विज्ञान	चण्डीगढ़, अलवर	19.12.2018	राउप्रावि सियोलो काडेर सेडवा, बाड़मेर	जयपुर

उक्त आदेश की पालना में अध्यापिका को सम्बन्धित कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, अलवर के आदेश दिनांक: 20.03.2023 को म.पू. कार्यमुक्त कर इस कार्यालय में कार्यग्रहण करने के निर्देश दिये हैं। आदेशों की पालना में अध्यापिका ने इस कार्यालय में दिनांक: 21.03.2023 को मध्यान पूर्व कार्यग्रहण कर लिया है। निर्देशानुसार उक्त अध्यापिका को आज दिनांक: 27.03.2023 को मध्यान पश्चात नाम के सामने अंकित इच्छित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रा.शि. जयपुर कार्यालय के लिए कार्यमुक्त किया जाता है। सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रा.शि., जयपुर इनका पदस्थापन जिले में रिक्त पद पर नियमानुसार कर अवगत करावें।

उक्त अध्यापिका के स्वैच्छा से मण्डल परिवर्तन होने के कारण राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 2021 के नियम-36 के परन्तुक 07 में अंकित स्पष्टीकरण के अनुसार नवीन मण्डल/जिले में वरिष्ठता का निर्धारण किया जायेगा एवं सम्बन्धित कार्मिक के कार्यग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विषय अध्यापक विशेष की वरिष्ठता नियमानुसार नये जिले में कनिष्ठतम विषय अध्यापक विशेष के नीचे निर्धारित की जावेगी। इस हेतु संस्था प्रधान/पीईईओ द्वारा कार्मिक के कार्यग्रहण करने से पूर्व सहमति पत्र आवश्यक रूप से लिया जाना सुनिश्चित किया जावे।

नोट:- अध्यापिका ने दिनांक: 22.03.2023, कुल 01 दिवस आकस्मिक अवकाश का उपभोग किया है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

सहायक निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/प्रारं/शि.सं./एफ-2/पैतृक विभाग/2023
प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-2, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रा.शि., जयपुर को पालनार्थ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रा.शि., बाड़मेर को सूचनार्थ।
4. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
5. सम्बन्धित अध्यापिका।
6. रक्षित पत्रावली।

सहायक निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Bhanwar Lal Sharma

Designation : Assistant Director

Date: 2023.03.27 15:01:26 IST